



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1385]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 6, 2018/चैत्र 16, 1940

No. 1385]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 6, 2018/CHAITRA 16, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2018

का.आ. 1530(अ).—माननीय उच्चतम न्यायालय ने कामन कॉज बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) सं. 2014 का 114, तारीख 2 अगस्त, 2017 के निर्णय द्वारा अन्य बातों के साथ यह निर्देश दिया है कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 60(अ) तारीख 27 जनवरी, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 1994 कहा गया है) के अधीन खनन परियोजनाओं को प्रदान किए गए पर्यावरण निर्वाधन की विधिमान्यता पांच वर्ष के लिए होगी और ईआईए अधिसूचना, 1994 के अधीन विस्तार पर विचार करने के लिए 1993-94 या उसके तुरंत पूर्व का वार्षिक उत्पादन आधार वर्ष होगा ;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोवा फाउंडेशन बनाम मैसर्स सीसा स्टैरेलाइट लिमिटेड और अन्य के मामले में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 2015 का 32138 तारीख 7 फरवरी, 2018 में दिए गए निर्णय द्वारा यह दोहराया है कि ईआईए अधिसूचना, 1994 के अधीन खनन परियोजनाओं के लिए प्रदान किए गए पर्यावरण निर्वाधन की विधिमान्यता पांच वर्ष होगी ;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 7 फरवरी, 2018 के अपने उपरोक्त निर्णय में यह कहा है कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) का पैरा 9 यह उपबंधित करता है कि पर्यावरण निर्वाधन 30 वर्षों की अधिकतम अवधि के अध्यक्षीन रहते हुए प्राक्कलित परियोजना जीवन के लिए विधिमान्य होगी ;

और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ईआईए अधिसूचना, 1994 के अधीन खनन परियोजनाओं से संबंधित मामलों की दो श्रेणियां होंगी, अर्थात् :-

(क) खनन परियोजनाएं, जिन्हें ईआईए अधिसूचना, 1994 के अधीन पर्यावरण निर्वाधन प्रदान किया गया था और ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन विस्तार करने या आधुनिकीकरण या संशोधन करने के लिए भी पर्यावरण निर्वाधन प्रदान किया गया था ; और

(ख) खनन परियोजनाएं, जिन्हें ईआईए अधिसूचना, 1994 के अधीन पर्यावरण निर्वाधन प्रदान किया गया था और परंतु ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन विस्तार करने या आधुनिकीकरण या संशोधन करने के लिए भी पर्यावरण निर्वाधन प्राप्त नहीं किया गया था।

और उपरोक्त तीसरे पैरा के अनुसार, उपरोक्त चौथे पैरा के खंड (क) में उल्लिखित परियोजनाएं पांच वर्ष के होते हुए पर्यावरण निर्वाधन की विधिमान्यता के शिथिलीकरण से ग्रस्त नहीं होगी ;

और उपरोक्त चौथे पैरा के खंड (क) में उल्लिखित परियोजनाएं आधार उत्पादन के मुकाबले विस्तार के शैथिलीय से ग्रसित नहीं होगी क्योंकि इन परियोजनाओं को ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन पहले से ही अंकित किया गया था और पर्यावरण निर्वाधन प्रदान किया गया था ;

और उपरोक्त चौथे पैरा के खंड (ख) में उल्लिखित सभी खनन परियोजनाओं से माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन पर्यावरण निर्वाधन प्राप्त करना अपेक्षित है ;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के कार्यान्वयन के लिए साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए तथा पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक समझता है कि उपरोक्त चौथे पैरा के खंड (ख) में उल्लिखित सभी परियोजनाओं को ईआईए अधिसूचना, 2006 के विनियामक ढांचे के अधीन लाया जाए,

अतः अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को छोड़ने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए यह निदेश देती है कि पर्यावरण निर्वाधन की विधिमान्यता और आधार उत्पादन के मुकाबले परियोजनाओं के विस्तार को अंतर्बलित करने वाले ऐसे मामलों में परियोजना प्रस्तावक ईआईए अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अधीन पर्यावरण निर्वाधन प्रदान करने के लिए, ईआईए अधिसूचना, 2006 के परिशिष्ट-2 में दिए गए प्ररूप 1 में इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर आवेदन करेगा, और ऐसे सभी आवेदनों पर, यथास्थिति, संबद्ध विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो आवश्यक सम्यक् तत्परता पर, जिसके अंतर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट को तैयार करना और लोक परामर्श भी है, पर विनिश्चय करेंगे और आवेदन तदनुसार पर्यावरण निर्वाधन प्रदान करने के लिए अंकित किया जाएगा।

[फा.सं. एल-11011/69/2014-आई. II (एम)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2018

S. O. 1530(E).—Whereas, the Hon'ble Supreme Court, vide judgment dated the 2nd August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors., *inter-alia*, has directed that the validity of the environmental clearance granted for mining projects under the notification number S.O. 60(E), dated the 27th January, 1994 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 1994) of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests shall be five years, and for considering expansion under the EIA Notification, 1994, the annual production of 1993-94 or immediately preceding year shall be the base year;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide judgment dated the 7th February, 2018 in Special Leave to Appeal (Civil) No. 32138 of 2015 in the matter of Goa Foundation versus M/s Sesa Sterlite Ltd., & Ors. has reiterated that the validity of the environmental clearance for mining projects granted under the EIA Notification, 1994 shall be five years;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in its aforesaid judgment dated the 7th February, 2018 has held that para 9 of the notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006), provides that the environmental clearance would be valid for the estimated project life subject to a maximum of 30 years;

And whereas, in the view of the above, there would be two categories of cases related to mining projects under EIA Notification, 1994, namely: -

- (a) mining projects, which were granted environmental clearance under the EIA Notification, 1994, and also granted environmental clearance for expansion / modernisation / amendment under the EIA Notification, 2006; and
- (b) mining projects, which were granted environmental clearance under the EIA Notification, 1994, and but not obtained environmental clearance for expansion / modernisation / amendment under the EIA Notification, 2006.

And whereas, as per third paragraph above, the projects mentioned in clause (a) of fourth paragraph above do not suffer from the infirmity of validity of environmental clearance being five years;

And whereas, the projects mentioned in clause (a) of fourth paragraph above, do not suffer from the infirmity of expansion vis-à-vis the base production as these projects were already appraised and granted environmental clearance under the EIA Notification, 2006;

And whereas, all mining projects mentioned in clause (b) of fourth paragraph above are required to obtain environmental clearance under the EIA Notification, 2006, in pursuance of the aforesaid judgments of the Hon'ble Supreme Court;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary for implementation of the aforesaid judgments of the Hon'ble Supreme Court as well as for the protecting and improving the quality of environment and abating the environmental pollution, that all projects mentioned in clause (b) of fourth paragraph above, be brought under the regulatory framework of the EIA Notification, 2006;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby directs, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules in public interest, for implementation of the aforesaid judgments of the Hon'ble Supreme Court, that the project proponent in all such cases involving validity of the environmental clearance and expansion of mining projects vis-à-vis the base production, shall make application within six months from the date of issue of this notification in Form-1 as given in Appendix-II of the EIA Notification, 2006, for grant of environmental clearance under the provisions of the EIA Notification, 2006, and all such applications shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, who shall decide on the due diligence necessary including preparation of Environmental Impact Assessment Report and public consultation and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

[F.No. L-11011/69/2014-IA.II(M)]


GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

M/s ENVIROGREEN CONSULTANTS (I) PVT. LTD.

(A complete Environmental and Mining Solution)



Accreditations



NABL



OHSAS

OUR SERVICES

Environment

- Environmental Clearance, RPCB consent, NOC from CGWA
- Environmental compliances
- Environmental Auditing
- Implementation of environmental statutory conditions

Mining

- Mine Auction & Mine Valuation
- Mining Plan/ Scheme and Mine Survey
- Mining Feasibility Study
- Mining Risk Management
- Pit Design, Planning and Engineering

Geology

- Geological & Structural Mapping
- Resource Modeling & Estimation
- Mineral Exploration (Core/Non Core Drilling & Geophysical Survey)
- Searching New Mineral Deposits (India/Abroad)
- Mine & Mineral Property Evaluation
- Grade Control & Reconciliation
- Hydrogeological Work
- Consultancy to Increase Profitability of Mine

Laboratory

- Environmental Monitoring & Testing
- Mineral and Ore Testing

Exposure in Abroad: Angola, Ethiopia, Indonesia, Laos, Malaysia, Nepal, Senegal, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Vietnam

Address: 1-B, Machhla Magra, Near Patel Circle, Udaipur-313002, Rajasthan,
Telefax: +91-294-2484979; **Mobile:** +91- 9352239829, 9116000244, 8003590552
E-mail: info@egcipl.com; **Web:** www.egcipl.com